कार्यालय : वन प्रमण्डल पदाधिकारी, मेदिनीनगर वन प्रमण्डल, मेदिनीनगर।

पत्रांक 3380 /दिनांक 12.07.18 /

सेवा में,

वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, मेदिनीनगर।

विषयः– मेदिनीनगर वन प्रमण्डल अन्तर्गत् पलामू जिला के सदर अंचल, मेदिनीनगर के ग्राम–पोखराहा खूर्द में केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु 4.04हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंगः– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास, बोर्ड, झारखण्ड, रांची का पत्रांक 159 दिनांक 06.02.2018 एवं क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर का पत्रांक 629 दिनांक 22.02.2018, पत्रांक 768 दिनांक 08.03.2018, पत्रांक 1672 दिनांक 15.06.2018, पत्रांक 1865 दिनांक 09.07.2018 तथा आपका पत्रांक 1468 दिनांक 26.06.2018

महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषय के संबंध में कहना है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास, बोर्ड, झारखण्ड, रांची द्वारा ग्राम–पोखराहा खूर्द में केन्द्रीय विद्यालय निर्माण हेतु 4.04 हे0 वनभूमि(जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव में पाई गयी त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन निम्नवत है:–

क्र0 सं0	त्रुटियाँ	निराकरण प्रतिवेदन
1	यह प्रस्ताव गैर स्थल विशिष्ट परियोजना है, इसे कही भी निर्माण किया जा सकता है। वनभूमि में ही विद्यालय की स्थापना का क्या औचित्य है?	जिला शिक्षा पदाधिकारी, पलामू ने पत्रांक 842 दिनांक 25.06.2018 द्वारा प्रतिवेदित किये है कि जिला प्रशासन के द्वारा केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना हेतु पंचायत पोखराहा खूर्द में जमीन उपलब्ध कराये जाने के कारण निर्माण किया जा रहा है। (छाया प्रति संलग्न)
2	प्रस्ताव के साथ विद्यालय निर्माण हेतु ग्राम सभा/आम सभा की Resolution की प्रति संलग्न नहीं है।	ग्राम सभा/आम सभा की Resolution की प्रति संलग्न।(सात–सात प्रतियों में)
3	प्रस्ताव के साथ Geo reference digital plan in shape file संलग्न नहीं है।	Geo reference digital plan in shape file की CD संलग्न।(सात–सात प्रतियों में)
4	प्रस्ताव के साथ संलग्न मौजा मैप पर विद्यालय निर्माण स्थल नहीं दर्शाया गया है।	मौजा मैप पर विद्यालय निर्माण स्थल को लाल रंग से दर्शाया गया हैं। मौजा मैप की 5: प्रति संलग्न।
5	प्रस्ताव वनभूमि का Total break up of land संलग्न नहीं है।	Total Break up of land की प्रति संलग्न। (सात–सात प्रतियों में)

अतः उपरोक्त त्रुटियों का निराकरण प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।
अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–
वन प्रमण्डल पदाधिकारी
मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,मेदिनीनगर।

D:\PRASHANT BHASKAR\banalat.doc

ज्ञापांक 3380 / दिनांक 12.07.18 /

प्रतिलिपि:- क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, पलामू मेदिनीनगर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.7.18

वन प्रमण्डल पदाधिकारी

मेदिनीनगर वन प्रमण्डल,मेदिनीनगर।

12/07/18

O/C

D:\PRASHANT BHASKAR\banalat.doc